सं.ए-12025/15/2008 -प्रशासन -।
भारत सरकार
योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 13 vDVcj], 2008

सेवा में,

केन्द्र सरकार के सभी विभाग / राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान अधिकारियों / सार्वजनिक उपक्रमों

विषय:- योजना आयोग में प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर 15600-39100 +7600 (xM i) [io l'kf/r orueku :i; 12000-375-16500] के वेतनमान में उप सलाहकार (flpkb) d nk पदों vkj उपसलाहकार (उर्वरक) d ,d in पर भर्ती ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि योजना आयोग में उपसलाहकार (सिंचाई) के nk ink vkj उपसलाहकार (उर्वरक) d ,d in पर पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता है । प्रत्येक पद का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा ।

2. केन्द्र सरकार के सभी विभागों / राज्य सरकारों / संघ राज्य प्रशासनों / विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान अधिकारियों / सार्वजनिक उपक्रमों के अधीन अधिकारियों और विभागीय वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों जो संलग्नक में निर्दिष्ट शर्तो को पूरा करते हैं, के नामों पर एक साथ विचार किया जाएगा । यदि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसी पद हेतु नियुक्ति के लिए योजना आयोग के किसी विभागीय वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी की संस्तुति की जाती है तो उस पद को पदोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा और यदि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसी बाहरी उम्मीदवार की संस्तुति की जाती g तो नियुक्ति चार वर्ष से अधिक न होने वाली विशिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर होगी ।

3. पद का वेतनमान, पात्रता, शर्ते , अर्हताएँ और अनुभव, पद से संबद्ध कार्य और प्रतिनियुक्ति की अवधि आदि **संलग्नक** में दिए गए हैं ।

4. केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध है कि वे इस रिक्ति को अपने नियंत्रण के अधीन सभी कार्यालयों / सार्वजनिक उपक्रमों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों के ध्यान में लाएं ।

5. ऐसे पात्र उम्मीदवारों, जिन्हें चयन की सूचना मिलने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन पत्र आत्मवृत संलग्न प्रपत्र **(दो प्रतियों)** में उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित तथा कार्यालयाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित पद हेतु भेजें । आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी अग्रेषित करना अपेक्षित है ;-

(i) संवर्ग निकासी / सुस्पष्ट अनापत्ति ;

-/-

(ii) संबंधित उम्मीदवार की पिछले पांच वर्षो की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियाँ जो कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों जो भारत सरकार के अवर सचिव से कम स्तर का ना हों;

(iii) किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप) में ।

(iv) सतर्कता प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप) जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है, तथा

(v) विगत 10 वर्षो के दौरान उम्मीदवार पर लगाए गए बड़े/ छोटे दंडों की सूची, यदि कोई हो / दंड़ नहीं प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में), जैसी भी स्थिति हो ।

[यह ध्यान रखा जाए की उपर्युक्त दस्तावेजों के बिना आवेदन पत्र पर विचार करना संभव नहीं होगा । यह भी सूचित किया जाता हे कि प्रतिनियुक्ति आधार पर पदों की नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा दस्तावेजों सहित करिकुलम बिटे का मूल्यांकन होगा ।]

6. केवल उन अभ्यर्थियों के आवेदन, जो सतर्कता की दृष्टि से दोषमुक्त हैं, अग्रेषित करने की आश्यकता है । जल्द ही रिक्ति का प्रकाशन रोजगार समाचार में किया जा रहा है । आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर होगी।

7. आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पत्र सभी तरह से पूर्ण है तथा निर्धारित प्रपत्र में है । प्रपत्र का कोई भी कॉलम खाली नहीं छोडना चाहिए । जहां भी सूचना "लागू नहीं" या " शून्य" है , कृप्या इसे बताएं । निदेशित आखिरी तिथि या उससे पहले प्राप्त उक्त पैरा 5 में वर्णित सभी दस्तावेजों सहित उचित माध्यम के जरिए प्राप्त केवल पूर्ण आवेदन स्वीकार किए जाएंगे । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन या जो निधारित प्रपत्र में नहीं हैं या जो अपूर्ण हैं या पहले के आवेदन मान्य नहीं होंगे ।

8. इन रिक्तियों के विवरण योजना आयोग की वेबसाइट ‘‘http://www.planningcommission.gov.in" "circulars" पर उपलब्ध हैं ।

भवदीय,
Sd/-
(,l0 dl'kok vÕÕkj)
अवर सचिव , भारत सरकार
दूरभाष ; 23096531

प्रतिलिपि प्रेषित -

1. futh lfpo] प्रधान सलाहकार (ty L=ksr) और ofj’ सलाहकार (उद्योग), योजना आयोग ।
2. योजना आयोग के सभी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों जिन्हनने संलग्नक में प्रत्येक पद के लिए निर्देशित ग्राहता की दिनांक को इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है और इस अनुरोध के साथ कि वे, जो अनिवार्य अर्हताएं तथा अनुभव रखते हैं, प्रपत्र पूरा करके तथा अंतिम तिथि तक **(दो प्रतियों में)** अद्योहस्ताक्षरी को भिजवा दें ।
3. futh lfpo] i/ku lykgdkj (i'kklu), योजना आयोग ।
4. सूचना पट्ट ।

Sd/-
((,l0 dl'kok vÕÕkj)
अवर सचिव , भारत सरकार

<u>संलग्नक</u>

योजना आयोग में प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर उप सलाहकार (सिंचाई) के dk ink vkj उपसलाहकार (उर्वरक) dk ,d in से संबंधित पात्रता शर्तों आदि का विवरण :-

1. **<u>वेतनमान</u>** : 15600-39100 +7600 (xM i) (iR;d in के लिए)
[io l'kf/r orueku :i; 12000-375-16500]

2. **<u>पद से संबंधित कार्य</u>** :

<u>उप सलाहकार (सिंचाई)</u>

i) सिंचाई , बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के तकनीकी और आर्थिक अनुमोदन :
(ii) राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ परिचर्चाओं में भाग लेना तथा योजनाओं का प्रतिपादन और उसकी कार्यसूची और कार्यवृत्तों की तैयारी :
(iii) सिंचाई , बाढ़ नियंत्रण और सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से जुड़े जल संसाधन विकास के सभी पहलुओं के साथ लेन-देन में जल संसाधन प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों (सलाहकार तथा संयुक्त सलाहकार)की सहायता करना।

<u>उप सलाहकार (उर्वरक)</u>

(i) रसायनों तथा उर्वरकों पर पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं का प्रतिपादन
(ii) उर्वरक उद्योग की नीतियों एवं समस्याओं से संबद्ध मामलों की जांच ।

3. **<u>पात्रता :</u>** (rhuk ink के लिए)

(i) **<u>प्रतिनियुक्ति हेतु :</u>**
केन्द्र सरकार / राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं / सार्वजनिक उपक्रमों के अंतर्गत नियमित आधार पर समान पद धारण करने वाले अधिकारियों अथवा जिन्होंने io l'kf/r 10000-325-15200 रू0 के वेतनमान अथवा समकक्ष में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों जैसाकि नीचे मद सं0 6 के सामने दर्शाया गया है ।

(ii) **<u>पदोन्नति हेतु :</u>**
योजना आयोग के वे विभागीय वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के बाद दिए गए ग्रेड में - 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा प्रत्येक पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव जैसा कि नीचे मद सं6 के सामने इंगित है , रखते हों ।

4. **आयु सीमा :**

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा पात्रता हेतु निर्णायक तिथि जैसा की नीचे मद सं 5 के सामने इंगित है,को 56 वर्ष से अधिक न हो ।

5. **पात्रता निर्धारित करने हेतु तिथि :**

rhuk ink d fy, इस विज्ञापन के अनुसार आवेदनों की प्राप्ति dh आंतिम तिथि होगी ।

6. **अर्हताएं और अनुभव :**

उपसलाहकार (सिंचाई)

अनिवार्य :

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्ययालय या समकक्ष से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री ।

(ii) सिंचाई क्षेत्र में इसके सभी विभिन्न पहलुओं जैसे नदी नाली परियोजनाओं , जल संसाधन विकास, सिंचित क्षेत्र विकास, जल निकास, बाढ़ नियंत्रण इत्यादि में शोध / डिजाइन / विकास /योजना / निष्पादन / प्रशासन का 10 वर्ष का अनुभव ।

वाछंनीय :

(i) सिविल / हाइड्रोलिक / जल संसाधन अभियांत्रिकी / द्रव अभियांत्रिकी में मास्टर डिग्री ।

(ii) प्रकाशनों द्वारा प्रमाणित आलोचनात्मक समीक्षाएं, मूल्यांकन प्रतिवेदनों, शोध प्रतिवेदनों इत्यादि को तैयार करने का अनुभव ।

उप सलाहकार (उर्वरक)

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या समकक्ष से मूल / अनुप्रयुक्त । औद्योगिक रसायनिकी में मास्टर डिग्री या रसायनिकी अभियांत्रिकी या प्रोद्यौगिकी में डिग्री ।

(ii) शोध / डिजाइन / विकास या उर्वरक उद्योग में योजना / विकास कार्यक्रमों /परियोजनाओं के कार्यान्वयन में 10 वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) रासायनिकी में डाक्ट्रेट डिग्री / रासायनिकी अभियांत्रिकी में मास्टर डिग्री ।

(ii) उर्वरक अर्थशास्त्र , सहयोगिता इत्यादि के साथ पहचान या ज्ञान ।

(iii) व्यवहार्य अध्ययन या विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों का अनुभव या तैयारी और / या तकनीकी - आर्थिक मूल्यांकन ।

7. <u>प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि :</u>

प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि (केन्द्र सरकार में उसी अथवा अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से क पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि को मिलाकर) सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति की शर्तें , भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.2/ 29 / 91 - स्था. (पी.2) में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी तथा अनुबंध पर आने वालों के मामलों में , शर्तें संबद्ध प्राधिकरण के परामर्श से निर्देशों के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत तय की जाएंगी ।

*****

[अभ्यर्थी जो प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर आवेदन करता है , के आवेदन के साथ पृथक रूप से संलग्न करने हेतु आवश्यक विभिन्न प्रमाण पत्रों का प्रारूप]

सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र

डा0 / श्री / श्रीमति / सुश्री --, --जिन्होंने योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण पर उप सलाहकार (-------------------------------) के पद के लिए आवेदन किया है, यह प्रमाणित किया जाता हे कि उनकी सत्यनिष्ठा पर कोई संदेह नहीं है ।

(उपसचिव या ऊपर के पद के अधिकारी
द्वारा हस्ताक्षरित)
नाम एवं कार्यालय मोहर ;
दिनांक;........................

सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा0 / श्री / श्रीमति / सुश्री --,---जिन्होंने योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण पर उप सलाहकार(---) के पद के लिए आवेदन किया है , के विरूद्ध कोई सतर्कता मामला या अनुशासनात्मक कार्यवाई या आपराधिक कार्यवाई न तो चल रही है न विचारित है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम एवं कार्यालय मोहर;
दिनांक ;..................

कोई दण्ड नहीं प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डा0 /श्री / श्रीमति / सुश्री ---,--जिन्होंने योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण पर उप सलाहकार (------------------) के पद के लिए आवेदन किया है, पर पिछले दस वर्षों के दौरान कोइ लघु / मुख्य दण्ड नहीं लगाया गया है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम एवं कार्यालय मोहर;
दिनांक ;...................

*****